



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940

No. 130]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/CHAITRA 13, 1940

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुडगाँव, 27 मार्च, 2018

सं.जेईआरसी-18/2014.—गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) के द्वारा अधिसूचित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वार्षिक वितरण दर) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2016

इसलिए अब, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तिया का प्रयोग करते हुए, आयोग बहु-वार्षिक वितरण दर (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2016 को निम्न प्रकार संशोधित करता है:-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना

- (1) यह विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वार्षिक वितरण दर) (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2018 के रूप में कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयोग के बहु-वार्षिक वितरण दर (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2016 के खण्ड-2 में संशोधन।

इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन फॉर्मूला (FPPCA) से संबंधित खण्ड-2 और उसमें उल्लेखित अनुसूची और उदाहरण 1 और 2 निरस्त हो जाएंगे।

कीर्ति तिवारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./01/18]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For the State of Goa and Union Territories)****NOTIFICATION**

Gurugram, the 27th March, 2018

No. JERC-18/2014.—WHEREAS the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (hereinafter referred to as “the Commission”) notified the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Multi Year Distribution Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2016.

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred under sub-Section (1) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in that behalf, the Commission amends the Multi Year Distribution Tariff (Second Amendment) Regulations, 2016 as under:-

REGULATION**1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT**

(1) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Multi Year Distribution Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2018.

(2) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in official Gazette.

2. Amendment of Clause (2) of the Commission’s Multi Year Distribution Tariff (Second Amendment) Regulations, 2016

The said Clause (2) regarding Fuel and Power Purchase Cost Adjustment formula (FPPCA) along with its schedule and illustration 1 & 2 shall stand repealed from the date of coming into force of these Regulations.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.III/4Exty./01/18]